

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2515

मद क्रमांक 1

राज्य शासन द्वारा श्रम न्यायालय से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में डिक्री धन के भुगतान हेतु रूपये 23.523 लाख के प्रावधान का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 23,52,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 2

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ विकास संस्थान के लिये वाहन क्रय करने का निर्णय लिया गया है, वाहन क्रय बजट में उपलब्ध राशि से किया जावेगा । इस पर इस वर्ष रूपये 4.00 लाख का व्यय संभावित है । यह नवीन व्यय का मद है ।

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान अनुपूरक अनुदान किया जा रहा है ।